संख्या : 7ब / 2705 यो०ज०सं०–01 / 16 135

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 04-10-16

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के मुख्य शीर्ष–2705–कमान क्षेत्र विकास के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2016–17** में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2016–17** में व्यय हेतु बजट **मुख्य शीर्ष–2705–कमान क्षेत्र विकास** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या / मुख्य शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रू० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2705–कमान क्षेत्र विकास,	**500.00**	

आवंटित राशि – ₹ पाँच करोड़ मात्र।

2. आवंटित राशि उपशीर्षान्तर्गत वर्ष **2016–17** के बजट उपबंध **रू० 700.00 लाख (सात करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003, 1363 दि० 09.05.2016 तथा 2747(वि०), दिनांक–19.09.16 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2017 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–14 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(सुखदेव सिंह) 3/9
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 135 रॉची, दिनांक :– 04-10-16

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो०– **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा** राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(सुखदेव सिंह) 3/9
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 135 राँची, दिनांक :– 04-10-16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(श्वेता कुमारी)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुखदेव सिंह)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	**प्रधान सचिव**

विभागीय पत्रांक 135 दिनांक 04-10-16 का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग,

मुख्य शीर्ष–2705–कमान क्षेत्र विकास, (वित्तीय वर्ष 2016–17) **(राशि लाख ₹ में)**

क्र०	लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष	विपत्र कोड	बजट उपबंध	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्र० स्वी० की		मार्च 2016 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटित राशि			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
							राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	आवंटित राशि	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	लघु शीर्ष–001–कॉंची कमान क्षेत्र विकास, उप शीर्ष–02–कॉंची सिंचाई योजना, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)	49P270500001020543	700.00	सिंचाई प्रमडल बुण्डु (RNCIRR011)	रॉंची	कॉंची सिंचाई योजना अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन	9367.62	40/2015–16 प्र०स्वी० दिनांक 16.12.2015	0.00	0.00	500.00	500.00	**63571**	कॉंची कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत कॉंची सिंचाई योजना के मुख्य नहर के 18.23 कि0मी0 (दॉंये) से निस्तृत तमाड़ शाखा नहर के लाईनिंग कार्य एवं संरचना मरम्मति सहित पुनर्स्थापन कार्य
									कुल	**0.00**	**500.00**	**500.00**		

आवंटित राशि – ₹ पॉंच करोड़ मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव